रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1985/वैसाख 17, 1907
No. 93] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1985/VAISAKHA 17, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(वन और वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1985

संकल्प

संख्या 7-22/85- वानिकी (पी.- कृषि मंत्रालय 26 जुलाई, 1983 के संकल्प संख्या 28-2/80-एस. सी. (टी) द्वारा देश की भूमि और संसाधनों के स्वस्थ और वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित मसलों के लिये नीति नियोजन, समन्वय तथा मानीटर करने वाली एजेन्सी के रुप में काम करने के वास्ते एक द्विस्तरीय केन्द्रीय निकाय अर्थात राष्ट्रीय भूमि बोर्ड और राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण तथा विकास निगम स्थापित करने की घोषणा की गई थी।

2. भूमि का उचित उपयोग और परती भूमि का विकास इन दो उद्देश्यों पर पर्याप्त बल देने की दृष्टि से अब यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय भूमि बोर्ड प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता के अधीन होगा। यह भी निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद के अधीन निम्नलिखित दो अलग-अलग निकाय स्थापित किए जाएं :-

(1) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण निकाय — वर्तमान राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग के स्थान पर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग में स्थापित किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड—

पर्यावरण और वन मंत्रालय, वन और वन्यजीव विभाग नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद और उसके अधीन दो बोर्डों का गठन, भूमिका और कार्य अनुवर्ती पैराओं में दिये गए हैं :

4. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद

4.1 गठन

(1) प्रधान मंत्री ...अध्यक्ष

(2) सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री ...सदस्य

(3) निम्नलिखित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के मंत्री/ राज्य मंत्री . सदस्य

- वित्त
- कृषि और ग्रामीण विकास
- पर्यावरण तथा वन
- सिंचाई
- निर्माण और आवास
- रेलवे
- उद्योग
- शिक्षा

(4) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ...सदस्य

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड ..सदस्य

(6) अध्यक्ष, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ...सदस्य

(2) अध्यक्ष, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ...सदस्य

(3) योजना आयोग में कृषि के प्रभारी सदस्य .. सदस्य

(4) अध्यक्ष, ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ...सदस्य

(5) सचिव– सिंचाई विभाग, निर्माण, तथा आवास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और वन्य जीव, वित्त (व्यय), खान, जहाजरानी तथा परिवहन, रेलवे, उद्योग और योजना आयोग ...सदस्य 11

(6) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ...सदस्य

(7) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ..सदस्य

(8) मुख्य योजनाकार; नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन, निर्माण तथा आवास मंत्रालय ...सदस्य

(9) कृषि आयुक्त, कृषि और सहकारिता विभाग ...सदस्य

(10) आर्थिक तथा सांख्यिकी सलाहकार कृषि और सहकारिता विभाग . .सदस्य

(11) राज्यों से 5 प्रतिनिधि (प्रत्येक में एक प्रतिनिधि) सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्र के अंदर सदस्यता वार्षिक आधार पर बारी–बारी से होगी और प्रतिनिधियों का नामांकन सम्बद्ध राज्य भूमि उपयोग बोर्डों द्वारा किया जाएगा। ...सदस्य (5)

(12) मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि सुधार, रेगिस्तान/ पर्वतीय क्षेत्रों/ सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास, नगर तथा ग्राम नियोजन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण आदि के क्षेत्र में 6 विशेषज्ञ ..सदस्य (6)

(13) सचिव (कृषि और सहकारिता) . सदस्य–सचिव

अध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् का सदस्य सहयोजित कर सकता है।

वन और वन्यजीव विभाग तथा कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव परिषद् की सभी बैठकों में भाग लेंगे। परिषद् का सचिवालय प्रधान मंत्री के कार्यालय में होगा और प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

4.2 भूमिका और कार्य :

यह परिषद् देश के भू–संसाधनों के स्वस्थ तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध से संबंधित समस्त मामलों की सर्वोच्च नीति नियोजन और समन्वय एजेंसी होगी। यह राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के कार्य की देखरेख करेगी। नीति के बड़े मुद्दों से संबंधित इन बोर्डों की सिफारिशें अंतिम निर्णय लेने के लिये परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

4.3 परिषद की बैठकें .

परिषद् की वर्ष में कम से कम एक बैठक जरूर होगी।

5. राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड

5.1 गठन

(1) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ...अध्यक्ष

5.2 भूमिका और कार्य.—(1) समुचित भूमि–उपयोग तथा मृदा की क्षमता और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देश के भू–संसाधनों के संरक्षण, प्रबन्ध और विकास के लिये राष्ट्रीय नीति और संदर्भ योजना बनाना।

(2) भू-संसाधनों, मृदा तथा सम्बद्ध मामलों के संरक्षण और विकास से संबंधित चालू योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समग्र रूप से समीक्षा करना।

(3) मृदा सर्वेक्षण तथा भू-संसाधनों के सामान्य आयजे से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना तथा उनकी समीक्षा करना।

(4) राज्य भू-उपयोग बोर्डों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं आदि के सहयोग से विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों/गोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिये अध्ययनों को प्रायोजित करना।

(5) उचित मृदा प्रबन्ध के महत्व और समस्याओं के बारे में सामान्य जागरुकता पैदा करने के लिये उपाय करना।

(6) अच्छी कृषि भूमि का अधाधुंध तरीके से गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये उपायों पर विचार करना।

(7) राज्य भू-उपयोग बोर्डों के काम का समन्वय करना।

(8) समान हित के मामलों में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के पूरे सहयोग से काम करना।

(9) भू-उपयोग तथा संरक्षण के वैज्ञानिक प्रबन्ध के संवर्धन के लिये अन्य सभी आवश्यक उपायों पर विचार करना तथा उन्हें शुरू करना।

5.3 स्थान

बोर्ड कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में स्थित होगा और उक्त मंत्रालय इसका कार्य करेगा।

6. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड :

6.1 गठन

बोर्ड का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :—

- डा. (श्रीमती) कमला चौधरी — अध्यक्ष
- अध्यक्ष, ऊर्जा संबंधी सलाहकार बोर्ड — सदस्य
- तीन संसद सदस्य — सदस्य
- निम्नलिखित विभागों में भारत सरकार के सचिव :—
  - कृषि और सहकारिता — सदस्य
  - ग्रामीण विकास
  - पर्यावरण
- सचिव, वित्त (व्यय) — सदस्य (वित्त)
- सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् — सदस्य
- विशेष सचिव (वन और वन्यजीव) तथा महानिरीक्षक — सदस्य
- स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि (जिनकी संख्या छः से अधिक नहीं होगी) जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सम्बद्ध एजेन्सी की सलाह से नामजद किए जाएंगे। — सदस्य
- सचिव, वन और वन्यप्राणि विभाग — सदस्य-सचिव

बोर्ड आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है।

6.2 भूमिका और कार्य :

बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य वनरोपण और वृक्ष लगाने के व्यापक कार्यक्रम के जरिये देश की परती भूमि को सार्थक प्रयोग में लाना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह निम्नलिखित प्रमुख कार्य करेगा :—

(1) समग्र राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देश की परती भूमि के प्रबन्ध और विकास के लिये संदर्श योजना तथा कार्यक्रम बनाना।

(2) देश में परती भूमि का पता लगाना ताकि उसे बोर्ड के कार्यक्रम के तहत लाया जा सके।

(3) सरकार के भीतर तथा बाहर की विभिन्न एजेंसियों द्वारा परती भूमि के विकास के लिये हाथ में लिये गए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) सरकारी तथा अन्य एजेंसियों के जरिये परती भूमि के विकास के लिये परियोजनाओं तथा योजनाओं को मंजूरी देना।

(5) परती भूमि के विकास के लिये समुचित एजेंसियों को परियोजनाओं तथा योजनाओं पर विचार करना और उन्हें धनराशि प्रदान करना।

(6) गैर-सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेंसियों और भूमिहीन व्यक्तियों समेत जनता के सक्रिय सहयोग से देश में परती भूमि के विकास को सम्वर्धन प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों, एजेंसियों स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ सहयोग करना ताकि परती भूमि विकास कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित जनशक्ति, धनराशि तथा आदान जुटाए जा सकें।

(8) परती भूमि के विकास के लिये उचित टैक्नालाजी तथा प्रबन्ध पद्धतियों के विकास को प्रायोजित करना।

(9) परती भूमि के विकास के संबंधित पहलुओं पर विश्वसनीय आकड़ा-आधार तथा प्रलेख पोषण केन्द्र का सृजन करना।

(10) उम्दा प्रमाणित रोपण सामग्री तथा बीजों की सप्लाई के लिये नर्सरियों तथा बीज बैंकों का संवर्धन करना।

(11) परती भूमि के ऐच्छिक विकास और उपयोग के लिये विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सामग्री का संवर्धन करना।

(12) बोर्ड तथा इसकी परती भूमि विकास योजनाओं के लिये बजट तैयार करना।

(13) परती भूमि विकास कार्यक्रमों की वित्तीय सहायता के लिये वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्यवाही करना।

(14) खासतौर पर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से परती भूमि के विकास के पक्ष में सामान्य जागृति पैदा करना।

(15) विशिष्ट योजनाओं पर परियोजनाएं/स्कीमें/दस्तावेज, रिपोर्ट आदि तैयार करने के उद्देश्य से अध्ययन करने का काम हाथ में लेना या विशेषज्ञ दल नियुक्त करना।

(16) समान हित के मामले में राष्ट्रीय भू-उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड के सहयोग से काम करना।

(17) परती भूमि के विकास को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक अन्य सभी उपायों पर विचार करना तथा उन्हें शुरु करना।

6.3. स्थान

बोर्ड पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन और वन्यजीव विभाग) नई दिल्ली में स्थित होगा तथा उक्त मंत्रालय इसका कार्य करेगा।

टी. एन. शेषन, सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Forests and Wildlife)

New Delhi, the 7th May, 1985

RESOLUTION

No. 7-22/85-FRY(P):—By Resolution No. 28-2/80-SC(T), dated the 26th July, 1983, the Ministry of Agriculture announced the decision to set up a two-tier Central Body, namely, the National Land Board and the National Land Resources Conservation and Development Commission, to serve as a policy planning, coordinating and monitoring agency for issues concerning the health and scientific management of the country's land resources.

2. With a view to placing proper emphasis on the twin objectives of proper land use and the development of wastelands, it has now been decided that the National Land Board, reconstituted as the National Land Use and Wastelands Development Council, should be under the chairmanship of the Prime Minister. It has also been decided to set up the following two separate bodies under the National Land Use and Wastelands Development Council (NLWC) :—

(i) The National Land Use and Conservation Board (NLCB) to be located in the Ministry of Agriculture & Rural Development, Department of Agriculture Cooperation, New Delhi replacing the existing National Land Resources Conservation and Development Commission.

(ii) National Wastelands Development Board (NWDB) to be located in the Ministry of Environment and Forests, Department of Forests and Wildlife, New Delhi.

3. The composition, role and functions of the National Land Use and Wastland Development Council (NLWC) and the two Boards under it are given in the following paragraphs :

4. NATIONAL LAND USE AND WASTELANDS DEVELOPMENT COUNCIL.

4.1 Composition

(i) Prime Minister .. Chairman

(ii) Chief Ministers of all States/U.Ts. .. Members

(iii) Ministers/Ministers of States of of the Central Ministries/Departments of : .. Membes

— Finance
— Agriculture and Rural Development
— Environment and Forests
— Irrigation
— Works and Housing
— Railways
— Industry
— Education

(iv) Deputy Chairman, Planning Commission .. Membe

(v) Chairman, National Land Use and Conservation Board. .. M

(vi) Chairman, National Wastelands Development Board. mber

The Chairman may coopt any oth erson as Member of the Council, as may be ne ssary.

Secretaries to Government in the Department of Forests and Wildlife and the Department of Agriculture and Cooperation will attend all meetings of the Council. The Secretariat of the Council will be located in the Prime Minister's Office and Joint Secretary to the Prime Minister will serve the Council as its Secretary.

4.2 Role and Functions :

The Council will be the highest policy planning and coordinating agency for all issues concerning the health and scientific management of the country's land resources. It will oversee the work of the National Wastelands Development Board and the National land Use and Conservation Board. Recommendations of these boards which involve larger policy issues will be placed before the Council for taking a final view.

4.3 Meeting of the Council :

The Council shall meet at least once a year.

5. NATIONAL LAND USE AND CONSERVATION BOARD

5.1 Composition

(i) Deputy Chairman, Planning Commission. .. Chairman

(ii) Chairman, National Wastelands Development Board. .. Member

(iii) Member in-charge of Agriculture, Planning Commission. .. Member

(iv) Chairman, Advisory Board on Energy. .. Member

(v) Secretaries—Departments of Irrigation, Works & Housing, Rural Development, Environment, Forests & Wildlife, Finance (Expenditure), Mines, Shipping & Transport, Railways, Industries and Planning Commission. .. Member (11)

(vi) Director-General, Indian Council of Agricultural Research. .. Member

(vii) Chairman, Central Water Commission .. Member

(viii) Chief Planner, Town & Country Planning Organisation, Ministry of Works & Housing. .. Member

(x) Agriculture Commissioner Department of Agriculture and Cooperation. .. Member

Economic and Statistical Adviser, Department of Agriculture and Cooperation. .. Member

(xi) 5 representatives from States (one from each region). Membership to be rotated within the region amongst the member States on yearly basis, representatives to be nominated preferably by the concerned State Land Use Boards. .. Members (5)

(xii) 6 Experts in the field of soil conservation, flood control, land reclamation, development of deserts/hill areas/drought prone areas, town and country planning, rural development, environment, etc. .. Members (6)

(xiii) Secretary (Agriculture and Cooperation .. Members Secretary

5.2 Role and Functions :

(i) Formulate a National Policy and Perspective Plan for conservation, management and development of land resources of the country, taking into account appropriate land use and soil capability and other factors;

(ii) Make an overall review of the progress of implementation of ongoing schemes and programmes connected with conservation and development of land resources, soils and allied matters.

(iii) Consider and review proposals concerning soil-surveys and general assessment of land resources.

(iv) Sponsor studies, to organise regional and national deliberations/seminars/workshops through various agencies in collaboration with State Land Use Boards, Universities, research institutes, etc.

(v) Take measures for creating a general awareness about the importance and problems of proper soil management.

(vi) Consider measures for ensuring that good agricultural land is not indiscriminately diverted to to non-agricultural purposes.

(vii) Coordinate the work of State Land Use Boards.

(viii) Act in full collaboration with the National Wastelands Development Board in regard to matters of common interest.

(ix) Consider and undertake all other measures necessary for promoting the scientific management of land use and conservation.

5.3 Location :

The Board will be located in and serviced by the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation) at New Delhi.

6. NATIONAL WASTELANDS DEVELOPMENT BOARD :

6.1 Composition :

The composition of the Board will be as follows :

— Dr. (Mrs.) Kamla Chowdhry	.. Chairperson
— Chairman, Advisory Board on Energy.	.. Member
— Three Members of Parliament	.. Members
— Secretaries to the Government of India in the Departments of :	.. Members
— Agriculture and Cooperation	
— Rural Development	
— Environment	
— Secretary, Finance (Expenditure)	.. Member (Finance)
— Secretary, Department of Agricultural Research and Education and Director General, Indian Council of Agricultural Research.	.. Member
— Special Secretary (Forests and Wildlife) and Inspector General of Forests.	.. Member
— Representatives of Voluntary Agencies, Cooperative Institutions, etc. (not exceeding six) to be nominated by the Chairperson of the Board in consultation with the concerned agency	.. Members
— Secretary, Department of Forests and Wildlife.	.. Member-Secretary.

The Board may coopt experts as may be necessary.

6.2 Role and Functions :

The principal aim of the Board shall be to bring under productive use, wastelands in the country through a massive programme of afforestation and tree planting. To this end, it will undertake the following main functions :

(i) Formulate within the overall National Policy, Perspective Plan and Programmes for the management and development of wastelands in the country.

(ii) Identify the wastelands in the country to be covered under the programme of the Board.

(iii) Review the progress of implementation of programmes and schemes for the development of wasteland by different agencies within and outside the Government.

(iv) Approve projects and schemes for the development of wastelands through Government and other agencies.

(v) Consider and fund projects and schemes of appropriate agencies for wastelands development.

(vi) Promote, encourage and finance development of wastelands in the country through the active involvement of non-Government organisations, voluntary agencies and the public at large, including the landless.

(vii) Collaborate with the Central and State Government departments, agencies, local bodies and voluntary agencies with a view to mobilising manpower, funds and other inputs required for wastelands development programmes.

(viii) Sponsor development of appropriate technology and management practices for wastlands development.

(ix) Create a reliable data base and documentation centre on related aspects of wastelands development.

(x) Promote a net work of nurseries and "Seed Banks" to supply quality certified planting material and seeds.

(xi) Promote training programmes and train materials for workers at various levels optimal development and utilisation of lands.

(xii) Prepare budgetary requirements for the Board and its wastelands development schemes.

(xiii) Interact with financial institutions for funding wastelands development programmes.

(xiv) Create general awareness in favour of wastelands development, specially through the education system.

(xv) Take up studies or set up expert groups for the purpose of preparing projects/schemes/papers, reports etc. on specified schemes.

(xvi) Act in collaboration with the National Land Use and Conservation Board in regard to matters of common concern.

(xvii) Consider and undertake all other measures necessary for promoting the development of wastelands.

6.3 Location :

The Board will be located in and serviced by the Ministry of Environment and Forests (Department of Forests and Wild life) at New Delhi.

T. N. SESHAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985